

उत्तराखण्ड शासन

गृह अनुभाग-04

शुद्धि-पत्र

28 अप्रैल, 2025 ई0

संख्या 239/XX-4/2025-E-68530-गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अपने पत्र दिनांक 18.07.2024 में की गयी अपेक्षा के क्रम में देहरादून स्थित भवन संख्या-61 (प्रथम एवं द्वितीय तल), जी0बी0ओ0 कैम्पस, 17 ई0सी0 रोड, सर्वे चौक, देहरादून को राष्ट्रीय सुरक्षा एजेन्सी (एन0आई0ए0) पुलिस स्टेशन के रूप में स्थापित किये जाने हेतु निर्गत अधिसूचना के हिन्दी आलेख्य संख्या-230, दिनांक 22.04.2025 में अंकित तालिका के स्तम्भ-1 में उल्लिखित स्थान/भवन के पहले टंकण त्रुटिवश "राष्ट्रीय जांच एजेन्सी पुलिस स्टेशन" टंकित नहीं किया गया है। कृपया उक्त तालिका को निम्नानुसार पढ़ा जाय :-

स्तम्भ (1)	स्तम्भ (2)
राष्ट्रीय जांच एजेन्सी पुलिस स्टेशन, भवन संख्या-61 (प्रथम एवं द्वितीय तल), जी0बी0ओ0 कैम्पस, 17 ई0सी0 रोड, सर्वे चौक, देहरादून, उत्तराखण्ड	सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य

2-उक्त अधिसूचना संख्या-230, दिनांक 22 अप्रैल, 2025 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

निवेदिता कुकरेती,

अपर सचिव।

टिप्पणी-राजपत्र, दिनांक 24-05-2025, भाग 1 में प्रकाशित।

[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित—]

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 18 गृह/282-23-06-2025-50 प्रतियां (कम्प्यूटर/रीजियो)।